

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर देसूरी

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट)

पीठासीन अधिकारी :- पर्वत सिंह चूण्डावत उपखण्ड अधिकारी देसूरी

उनवान

बाबु, रूथा पि. दीपा कौम सीरवी निवासी राजपुरा

बनाम

खंगार पुत्र दीपा कौम सीरवी निवासी राजपुरा

मगाराम पुत्र रामा कौम सीरवी निवासी राजपुरा

दावा बाबत - बंटवारा राजकाशत 1955 धारा 53

मुकदमा नम्बर :- 30/2016

निर्णय दिनांक :- 09/05/2016

वादी बाबु, रूथा पि. दीपा कौम सीरवी निवासी राजपुरा व प्रतिवादी खंगार पुत्र दीपा कौम सीरवी निवासी राजपुरा, मगाराम पुत्र रामा कौम सीरवी निवासी राजपुरा की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 09.05.2016 को. पर्वत सिंह चूण्डावत (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी, देसूरी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है कि

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रेकॉर्ड में प्रार्थी का नाम मगाराम पुत्र रामा का मिलान खतौनी के नाम से मिलान नहीं होने एवं दस्तावेजों के अभाव में बंटवारा खारिज किया जाता है।

यह डिक्री आज दिनांक 09.05.2016 को मेरे हस्ताक्षर से एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की जाती है।

(पर्वत सिंह चूण्डावत)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, देसूरी
दिनांक

क्रमांक / शिविर / 2016 /

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार देसूरी को भेजकर लेख है कि माफिक डिक्री एवं नक्सानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।

पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
लोक अदालत
देसूरी
एवं पदेन सहा. कलक्टर